न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

...ल संख्या : 16/226

मुरलीधर दत्तक पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पार्वती बेवा रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल सुमन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राघवेन्द्रपाल सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.04.2016 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मुरलीधर ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92 ए एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम सारोला तहसील दीगोद की आराजी कुल किता 05 कुल रकबा 5.12 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने उक्त वाद गोदपुत्र का कथन करते हुए प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविक रूप से वादी प्रतिवादी कम 1 का गोदपुत्र नहीं है ऐसी स्थिति में वादी पहले स्वयं को सिविल न्यायालय से गोद पुत्र साबित करवाए । ऐसी स्थिति में उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में मेन्टनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.04.2016 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने अपना जवाबदावा पेश किया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । उक्त भूमि पार्वती बाई ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात् वादी अपीलान्ट को अपने पुत्र की हैसियत से गोद लिया था । अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अपीलान्ट को उक्त भूमि में पैतृक भूमि में दत्तक पुत्र की हैसियत से अधिकार प्राप्त हो गये हैं । अपीलान्ट के दत्तक पुत्र के सम्बन्ध मं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की स्वीकारोक्ति है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तकनीकी आधार पर उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद गोदपुत्र का कथन करते हुए प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविक रूप से वादी प्रतिवादी क्रम 1 का गोदपुत्र नहीं है यदि अपीलान्ट स्वयं को गोदपुत्र बताता है तो वह पहले सक्षम न्यायालय से स्वयं को गोद पुत्र साबित करवाए उसके पश्चात् ही राजस्व न्यायालय में वाद चल सकता है । अपीलान्ट स्वयं को गोदपुत्र साबित करवाए बिना राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रस्तुत वाद ने वादी अपीलान्ट ने स्वयं को मृतक पार्वती का गोदपुत्र होने का कथन करते हुए उक्त वाद प्रस्तुत किया है । यदि

अपीलान्ट स्वयं को गोदपुत्र बताता है तो वह पहले सक्षम न्यायालय से स्वयं को गोद पुत्र साबित करवाए उसके पश्चात् ही राजस्व न्यायालय में वाद चल सकता है । अपीलान्ट स्वयं को गोदपुत्र साबित करवाए बिना राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय ने द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 11.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/226

मुरलीधर दत्तक पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा

—अपीलार्थी

बनाम

1. पार्वती बेवा रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 194/दावा/2015

मुरलीधर दत्तक पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा

——वादी

बनाम

1. पार्वती बेवा रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.04.2016 .की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 11.10.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री श्याम लाल सुमन एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री राघवेन्द्र पाल सिंह उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.04.2016 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 11.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा